

FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ़, जिला-अजमेर

तुलसी बनाम चूका देवी

किस्म मुकदमा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

नम्बर-66 वर्ष:-2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम/ जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.2025	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी ने अन्तर्गत धारा-212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया । प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 24-10-25 को पेश हो।</p>	
24/10/25	<p>बार एसो. स्वगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाराध उप. P.O. साहब नर/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29-10-25 को पेश हो।</p>	<p>NOT Press Am- A0 29/10/25</p>
29-10-25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी डिप0, अप्रार्थी सं.) से डके नोटिस तामील शुका प्रार्थी वकील प्रार्थी ने प्रकरण में नॉन प्रेश जाहिर किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नॉन प्रेश में जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)</p>	